न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मऊ, चित्रकूट।
मूलवाद संख्या– 02/2014
प्रभू बनाम सियाराम

20.11.2020–

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र 47ग2 व 49ग2 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 47ग2 व 49ग2

प्रार्थना पत्र 47ग2 व 49ग2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस मुकदमा में वादी प्रभू की मृत्यु दिनांक 15.12.2019 को हो गयी थी। मृतक वादी ही इस वाद की पैरवी करते थे। इसलिए प्राथीगण को वाद की जानकारी नही हो सकी। प्रार्थना की गयी है कि प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाए तथा उत्पन्न उपशमन के नुक्स को अपास्त किया जाए।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपत्ति में अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर विलम्ब कारित किया गया है। प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 47ग2 व 49ग2 को निरस्त किया जाए।

सुना व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादी की मृत्यु दिनांक 15.12.2019 को होने का अभिकथन किया गया है व प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2020 को प्रस्तुत किया गया है। माह मार्च से कोरोना महामारी के कारण तथा लॉकडाउन के कारण न्यायालय की नियमित कार्यवाही बाधित रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) No. 3/2020 में यह आदेशित किया गया है कि दिनांक 15.03.2020 से अग्रिम आदेश तक परिसीमा अवधि बढ़ जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के प्रकाश में प्रार्थना पत्र 47ग2 व 49ग2 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 47ग2 व 49ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी प्रभू के संबंध में उत्पन्न उपशमन को अपास्त किया जाता है तथा प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 42क1 व 43क1 लंच बाद पेश हो।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0

मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315

लंचबाद – पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आए। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र 42क1, 43क1 व आपत्ति 48ग2 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 42क1 व 43क1 वादी प्रभू के वारिसान द्वारा इस आशय का दिया गया है कि इस वाद में वादी प्रभू की मृत्यु दिनांक 15.12.2019 को हो चुकी है। मृतक वादी के वारिसान उसके पुत्रगण चेतन व लोचन हैं। प्रार्थना की गई है कि मृतक वादी के स्थान पर प्रार्थीगण को प्रतिस्थापित किए जाने तथा तदनुसार संशोधन की अनुमति प्रदान की जाए।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रतिस्थापन प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रस्तुत आपत्ति 48ग2 में अभिकथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 42क1 मृतक वादी के स्थान पर वारिसान को प्रतिस्थापित करने हेतु एवं प्रार्थना पत्र 43क1 परिणामी संशोधन हेतु है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा चुका है तथा उत्पन्न उपशमन को अपास्त किया जा चुका है। मृतक वादी के स्थान पर उनके वारिसों को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वारिसान के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही की गई है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र 42क1 व 43क1 स्वीकार किया जाता है। वादी पक्ष संशोधन अंदर सप्ताह तरमीम करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18.12.2020 को पेश हो।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315